कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 2042/897/आउशि/छा/2017 भोपाल दिनांक 20/12/17

प्रति,

1– कुलसचिव
समस्त विश्वविद्यालय(म0प्र0)

2– डीन
समस्त शासकीय/अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (म0प्र0)

3– प्राचार्य,
समस्त तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय (म0प्र0)

4– प्राचार्य
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त/ अशासकीय महाविद्यालय उच्चशिक्षा (म0प्र0)

विषय:–गांव की बेटी एंव प्रतिभा किरण योजना को प्रोत्साहन राशि के रूप में मान्य करने बाबत् ।

संदर्भ:–1. उच्च शिक्षा म0प्र0 शासन के पत्र कमांक एफ–19–1/17/38–2 दिनांक 22.03.2017 द्वारा जारी गांव की बेटी योजना नियम 2007 का संशोधन आदेश

2.उच्च शिक्षा म0प्र0 शासन के पत्र कमांक एफ–19–1/17/38–2 दिनांक 22.03.2017 द्वारा जारी प्रतिभा किरण योजना नियम 2007 का संशोधन आदेश

––––0––––

विषयान्तर्गत प्रदेश की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिये गांव की बेटी एंव प्रतिभा किरण योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली राशि प्रोत्साहन राशि मानी । इस हेतु दिनांक 22.03.2017 को जारी आदेश के संदर्भ में लेख है कि गांव की बेटी एंव प्रतिभा किरण योजना को प्रोत्साहन राशि के रूप में सत्र् 2017–2018 से मान्य किया जाना है, एंव प्रदेश की अन्य छात्रवृत्तियों के साथ लाभ प्रदान किया जाना है । शैक्षणिक सत्र् 2017–2018 के पूर्व में प्रवेशित छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाना है।

(वि.क.अ.सह. आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

20/12/17

(डॉ0 पूर्णिमा लोदवाल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन पत्र कमांक 2043/897/आउशि/छा/2017 भोपाल दिनांक 20-12-17

1 आयुक्त पिछडा वर्ग एंव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सतपुडा भवन भोपाल म0प्र0
2 आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग सतपुडा भवन भोपाल म0प्र0
3 आयुक्त अनुसूचित जाति विकास विभाग श्यामला हिल्स भोपाल म0प्र0
4 समस्त क्षैत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म0प्र0
5 वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केन्द्र भोपाल म0प्र0

20/12/17

(डॉ0 पूर्णिमा लोदवाल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Website

85

उच्च शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय
::आदेश::

भोपाल, दिनांक 22/3/17

क्रमांक /एफ 19—1/17/38—2, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक /एफ19—7/2—अड़तीस, दिनांक 30.08.2007 द्वारा गांव की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिये गांव की बेटी योजना नियम 2007 बनाये गये थे।

2— राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत गांव की बेटी योजना में सत्र 2017—18 से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

1. गांव की बेटी योजना नियम 2007 में योजना हेतु पात्रता एवं मापदण्ड की कंडिका—1 के बिन्दु क्र. 1.11 में " छात्रा शासन द्वारा प्रदाय छात्रवृत्तियों में एक समय में एक ही छात्रवृत्ति का लाभ ले सकती है" के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

"गांव की बेटी योजना में प्राप्त राशि प्रोत्साहन राशि मानी जायेगी, अतः छात्रा शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों में एक समय में अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में इस योजनान्तर्गत पात्र होने पर भी उसे गांव की बेटी योजना का लाभ प्राप्त होगा"।

2. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रं/125/43/बी3/चार/2017, दिनांक 14.3.17 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।
3. उक्त योजना के शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक /एफ 19—1/17/38—2 भोपाल, दिनांक 22/3/17

प्रतिलिपि:—

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन की ओर मान.मुख्यमंत्री जी की दिनांक 3.2.16 को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय (निजी) महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
9. गार्ड फाईल।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय

Website

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 22/3/17

क्रमांक /एफ 19–1/17/38–2, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19–1/08/2–अड़तीस, दिनांक 05.01.2008 द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रतिभा किरण योजना नियम–2007 बनाये गये थे।

2– राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत प्रतिभा किरण योजना में सत्र 2017–18 से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1. प्रतिभा किरण योजना नियम 2007 में योजना हेतु पात्रता एवं मापदण्ड की कंडिका–1 के बिन्दु क्र. 1.4 में " छात्रा शासन द्वारा प्रदाय छात्रवृत्तियों में एक समय में एक ही छात्रवृत्ति का लाभ ले सकती है। विकलांग छात्रवृत्ति एवं छात्रावास में प्रथम प्रवेश छात्रवृत्ति अतिरिक्त ली जा सकती है" के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"प्रतिभा किरण योजना में प्राप्त राशि प्रोत्साहन राशि मानी जायेगी, अतः छात्रा शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों मे एक समय में अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में इस योजनान्तर्गत पात्र होने पर भी उसे प्रतिभा किरण योजना का लाभ प्राप्त होगा"।

2. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रं/125/43/बी3/चार/2017, दिनांक 14.3.17 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

3. उक्त योजना के शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक /एफ 19–1/17/38–2 भोपाल, दिनांक 22/3/17

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन की ओर मान.मुख्यमंत्री जी की दिनांक 3.2.16 को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय (निजी) महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
9. गार्ड फाईल।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग